भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 4512
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते का प्रभाव

4512. श्रीमती विजयलक्ष्मी देवी:
श्री प्रभुसाई नागरभाई वसावा:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विस्तारित द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते के लिए सिंगापुर के अनुरोध की समीक्षा करते समय सरकार द्वारा किन कारकों पर विचार किया जा रहा है;

(ख) सरकार द्वारा उन विशिष्ट शर्तों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत सरकार सिंगापुर की विमान कंपनियों के लिए उड़ानों की आवृत्ति में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान करेगी और इसे अनुमोदित करने से पूर्व सरकार को किन विशेष अपेक्षाओं को पूरा करना होगा;

(ग) सिंगापुर के साथ विस्तारित हवाई सेवा समझौते का भारतीय एयरलाइनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) भारत और सिंगापुर के बीच विशेष रूप से पर्यटन और व्यापार के संदर्भ में बढ़े हुए हवाई संपर्क से होने वाले आर्थिक लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (घ): भारत और किसी विदेशी राष्ट्र के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते का विस्तार एक सतत प्रक्रिया है और भारतीय विमानन क्षेत्र को होने वाले लाभ, उस देश में भारतीय प्रवासियों की उपस्थिति, भारतीय वाहकों की भविष्य की योजनाएं, पारस्परिकता के पहलू, लाभों का संतुलन तथा दोनों देशों के बीच अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर समय-समय पर किया जाता है।

भारत और सिंगापुर सहित किसी भी विदेशी राष्ट्र के बीच हवाई संपर्क बढ़ने से पर्यटन और व्यापार संबंधों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण के सृजन की संभावना है।

*****